



**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला:-ए.सी.बी. चौकी कोटा थाना... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर  
प्र0सू0रि0संख्या 224/23 दिनांक 20/8/2023
2. (1) अधिनियम-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित2018) धारा -7,  
(2) अधिनियम- .....धारा -  
(3) अधिनियम.....धारायें - .....  
(4) अन्य अधिनियम धारायें.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 381 समय 6:30 PM  
(ब) अपराध घटने का दिन ... शुक्रवार ...दिनांक...18.08.2023 ...समय 05.35 पी.एम.  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 10.08.2023 समय 11.00 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक - हस्तलिखित रिपोर्ट
5. घटना स्थल:- शक्ति नगर कोटा  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-बजानिब दक्षिण-पश्चिम व 6.5 कि.मी.  
(ब) पता:- मकान नम्बर 45 शक्ति नगर कोटा के पास  
जरायम देही संख्या.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना - किशोरपुरा, जिला कोटा शहर
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-  
(अ) नाम:- श्री कृष्णपाल सिंह  
(ब) पिता का नाम - श्री सुरेन्द्र पाल सिंह  
(स) जन्म तिथी/वर्ष- उम्र 46 वर्ष  
(द) राष्ट्रीयता.- भारतीय  
(य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथी.....  
जारी होने की जगह.....  
(र) व्यवसाय-व्यवसाय- इन्सफ्राटेक्चर एवं कन्सलटेन्सी  
(ल) पता - निवासी मकान नम्बर 627 सेक्टर 16 ए फरीदाबाद हरियाणा।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-  
(1) श्री रामहंस मीणा पुत्र बृजमोहन जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी- ग्राम पहाडी थाना  
बालघाट तहसील- टोडाभीम जिला करौली हाल सहायक अभियंता (निर्माण), कार्यालय,  
आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण:-..... शून्य..
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....1,50,000 /-- रुपये.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगाये) :-

श्री मान प्रकरण में हालात इस प्रकार है कि दिनांक 10.08.2023 को समय 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल सिंह जाति जाट उम्र 46 साल निवासी मकान नम्बर 627 सेक्टर 16 ए फरीदाबाद हरियाणा ने ब्यूरो कार्यालय कोटा पर स्वयं उपस्थित होकर श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया कि "मैं कृष्ण पाल सिंह जो कि इन्टेलीटेस्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड फरीदाबाद (दिल्ली) फर्म का मैं सीईओ हूँ। नगर निगम कोटा राजस्थान द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति की प्रक्रिया अनुसार कोटा शहर के स्टेशन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सीवरेज मैन हाल को जीपीआर मैथड से सर्च करने का काम करने का ठेका हमारी फर्म इन्टेलीटेस्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड को मिला था। नगर निगम कोटा द्वारा उक्त कार्य का अदेश क्रमांक 06/003262/126 दिनांक 12.03.2020 कुल राशि 12,98,997/-रुपये का जारी किया गया था उक्त कार्य को हमारी फर्म द्वारा माह अक्टूबर वर्ष 2020 में ही पूरा कर दिया गया था। किन्तु नगर निगम कोटा द्वारा हमारा बिल का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। उक्त बिल का भुगतान करने के लिये नगर निगम कोटा का अधिकारी श्री रामहंस मीणा एईएन मुझसे चार लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा है। मेरे जायज काम के बदले मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ बल्कि श्री रामहंस मीणा एईएन को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। रामहंस मीणा से मेरी कोई रंजिश नहीं है तथा उससे मेरा कोई उधार




के रूपों का लेन देन नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी शिकायत पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।" इत्यादि। परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह ने बताया कि मेरी फर्म द्वारा किये गये कार्य का उपरोक्त कार्यादेश में साथ लेकर आया हूँ जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की परिधि में आने के कारण श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने समय 11.20 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ताराचन्द को अपने कक्ष में बुलाकर कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा एसीबी को पेश प्रार्थना पत्र मय कार्यादेश सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं परिवादी से मजीद दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि रामहंस मीणा सहायक अभियंता ने मुझे अभी अपने कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर पर बुलाया है, जो वहां मुझसे रिश्वत संबंधी वार्ता करेगा। मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निवारण की परिधि में आने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं मैमोरी कार्ड को निकलवाकर परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू बन्द करने की प्रक्रिया को भलीभांति समझाकर आरोपी श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता से होने वाली रिश्वत मांग संबंधी वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायत कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु सुपुर्द किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। इसके बाद परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह का परिचय श्री बृजराज सिंह कानि 159 से करवाया जाकर परिवादी को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के आरोपी श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता के पास नगर निगम कोटा उत्तर के लिये रवाना किया गया। श्री बृजराज सिंह कानि. 159 को निगरानी हेतु आवश्यक हिदायत कर परिवादी के हमराह से रवाना किया गया। समय 02.25 पी.एम.पर परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह मय श्री बृजराज सिंह कानि. 159 के साथ कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के बन्द हालात में मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि मैं एवं श्री बृजराज सिंह कानि. 159 आपके कार्यालय से रवाना होकर आरोपी श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता के कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर के पास पहुंचे। श्री बृजराज सिंह कानि. नगर निगम कोटा के बाहर ही वहीं रुक गये थे। मैं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू कर आरोपी रामहंस मीणा के कार्यालय के लिये रवाना हो गया था। मैं जब आरोपी के कार्यालय में पहुंचा तो आरोपी वहां उपस्थित नहीं था, मैंने इन्तजार किया, काफी देर तक रामहंस मीणा नहीं आये तो मैंने रिकॉर्डर बन्द कर लिया था। फिर आरोपी रामहंस मीणा सहायक अभियंता मुझे गैलरी में आते हुये नजर आये तो मैंने रिकॉर्डर चालू कर लिया था। मेरी, आरोपी रामहंस मीणा सहायक अभियंता से मेरी फर्म के बकाया बिल के संबंध में बात हुई, उसने कहा कि आप एमबी खरीद कर ले आओ मैं बता दूंगा कैसे भरनी है। मैंने उनसे कहा कि मैं नगर निगम में किसी को नहीं जानता। इस पर आरोपी ने मुझसे कहा कि आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है सभी काम मैं ही करवा दूंगा। आरोपी ने मेरे बिल पास करवाने की एवज में नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता, अधिषाशी अभियंता एवं अपने लिये टेबल पर रखे एक कागज पर लिखकर दो लाख रुपये एवं अन्य अधिकारीगण एवं एकाउण्ट शाखा के लिये पचास हजार रुपये की मांग की है, वह रिश्वत राशि के संबंध में स्पष्ट बात नहीं कर रहा है एवं ईशारों में तथा कागज पर लिखकर ही रिश्वत की मांग कर रहा है। मैंने नगर निगम कार्यालय से बाहर आकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द कर लिया था। मेरे व श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता के बीच होने वाली समस्त वार्ता डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो गई है। इसके बाद मैं नगर निगम कार्यालय के बाहर खड़े हुए श्री बृजराज सिंह के पास आया। हम दोनों वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय उपस्थित आये हैं। श्री बृजराज सिंह कानि.159 से परिवादी के कथनों की ताईद की गई। मन् पुलिस निरीक्षक ताराचन्द द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह के कथनों की पुष्टि हुई। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जावेगी। परिवादी ने बताया कि आरोपी ने मुझे एमबी लेकर कल दुबारा नगर निगम कार्यालय में बुलाया है, वह कल मुझसे खुलकर बात कर सकता है। इस पर परिवादी को कल सुबह 11.00 ए.एम.पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। श्री बृजराज सिंह कानि. 159 से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। फर्द प्राप्ति डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।




दिनांक 11.08.2023 को समय 11:15 ए.एम. परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि मैं एमबी लेकर अभी नगर निगम कार्यालय में जाऊंगा। आज आरोपी मुझसे रिश्वत के संबंध में खुलकर बात कर सकता है। इस पर मालखाने में सुरक्षित रखे डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड श्री बृजराज सिंह कानि. 159 द्वारा मालखाने से बाहर निकलवाया जाकर परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी रामहंस मीणा सहायक अभियंता के पास नगर निगम कोटा रवाना किया गया। श्री बृजराज सिंह को मुनासिब हिदायत कर परिवादी की निगरानी हेतु परिवादी के हमराह रवाना किया गया। समय 1.10 पी.एम. पर परिवादी मय श्री बृजराज सिंह कानि. के कार्यालय हाजा उपस्थित आया एवं डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द हालत में सुपुर्द कर श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आपके कार्यालय से रवाना हो मैं एवं श्री बृजराज सिंह कानि. आरोपी के कार्यालय नगर निगम कोटा पहुंच गये थे। श्री बृजराज सिंह जी नगर निगम कोटा के बाहर ही रुक गये थे, मैं डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू कर आरोपी रामहंस मीणा सहायक अभियंता के पास नगर निगम कार्यालय के अन्दर चला गया था। आरोपी अपने कक्ष में उपस्थित था मेरी आरोपी से मेरे काम के संबंध में वार्ता हुई थी, रामहंस मीणा ने मेरी फर्म द्वारा किये गये काम की एमबी भरने के संबंध में वार्ता की है उन्होने मुझसे रिश्वत के संबंध में आज कोई स्पष्ट वार्ता नहीं की है। मैंने नगर निगम कोटा से बाहर आकर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर बन्द कर लिया था। मेरी एवं आरोपी के मध्य हुई समस्त वार्ता डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है। इसके बाद मैं नगर निगम कोटा के बाहर खड़े श्री बृजराज सिंह के पास आया तथा सभी हालात उनको बताये। श्री बृजराज सिंह कानि. ने परिवादी के कथनों की पुष्टि की। परिवादी ने बताया है कि आरोपी ने मुझे, मेरी फर्म द्वारा कोटा में किये गये कार्यों की एमबी को भर कर नगर निगम में जमा करवाने के लिये बुधवार या शुक्रवार को कोटा आने के लिये बोला है। उस दिन आरोपी मुझे रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग कर रिश्वत राशि ग्रहण कर सकता है। श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चलकर सुना तो परिवादी के कथनों के पुष्टि हुई। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री बृजराज सिंह कानि. 159 द्वारा मालखाने में सुरक्षित रखवाया जाकर परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,00,000/-रुपये लेकर आने एवं आरोपी द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त सूचित करने की हिदायत कर रूखसत कर दिया।

दिनांक 18.08.2023 समय 11.45 ए.एम. पर परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज मैं एमबी जमा करवाने आरोपी के कार्यालय नगर निगम कोटा जाऊंगा। आरोपी रामहंस मीणा आज मुझसे रिश्वत की स्पष्ट वार्ता कर आज ही रिश्वत राशि ग्रहण कर सकता है। परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह द्वारा आरोपी रामहंस मीणा द्वारा आज ही रिश्वत राशि ग्रहण करने की संभावना होना बताया है इसलिये श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो गवाह तलब कर लाने के लिये कार्यालय हाजा के पत्रांक 2017 दिनांक 18.08.2023 से तहरीर दी जाकर उप वन संरक्षक वन्यजीव कोटा के कार्यालय समय 11.50 ए.एम.पर रवाना किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा से तलबिदा श्री करण सिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 कार्यालय हाजा उपस्थित आये। मालखाने में सुरक्षित रखे डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड श्री बृजराज सिंह कानि. 159 द्वारा मालखाने से बाहर निकलवाया जाकर परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायतकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी रामहंस मीणा सहायक अभियंता के पास नगर निगम कोटा समय 01.50 पी.एम. पर रवाना किया गया। परिवादी की निगरानी हेतु श्री बृजराज सिंह को मुनासिब हिदायत कर परिवादी के हमराह रवाना किया गया। समय 02.10 पी.एम. पर श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव कोटा से दो कार्मिक श्री सुलेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री मोहन लाल सैनी उम्र 30 साल निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल वन रक्षक वन्यजीव कोटा राजस्थान मोबाईल नम्बर 8824081644 एवं श्री



कमलचन्द प्रजापति पुत्र श्री दामोदर प्रसाद प्रजापति जाति प्रजापति उम्र 30 साल निवासी खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल वन रक्षक कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव कोटा राजस्थान मोबाईल नम्बर 7240124918 को हमराह लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। दोनों कार्मिक से परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया गया। समय 03.55 पी.एम. पर परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह मय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मय श्री बृजराज सिंह कानि. 159 के कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी ने डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के बन्द अवस्था में पेश कर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आपके कार्यालय से रवाना होकर मैं एवं श्री बृजराज सिंह कानि. 159 नगर निगम कोटा पहुंच गये थे। श्री बृजराज सिंह जी नगर निगम कोटा के बाहर ही रुक गये थे। मैं डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू कर आरोपी रामहंस मीणा के पास नगर निगम कोटा में उनके कक्ष में चला गया था। आरोपी रामहंस मीणा सहायक अभियंता अपने कमरे में ही मिल गया था, उनसे मेरी फर्म के बकाया बिल के संबंध में वार्ता हुई, आरोपी ने अपनी टेबल पर रखी नगर निगम की नोट पैड डायरी में मेरी फर्म द्वारा किये गये कार्य का हिसाब-किताब किया तथा उसी डायरी में लिखकर पूर्व में मांगी गई रिश्वत के संबंध में कहा कि ये 1.50 (एक लाख पचास हजार रुपये) अभी कर जाओ बाकी बाद में उसके साथ भेज देना। मैंने उनसे एक लाख अभी लेने के लिये बोला तो आरोपी ने लिखकर बताया कि 1.50 अभी कर दो, डायरी पर जेईएन व एक्सईएन लिखकर 0.50-0.50 लिखा एवं कहा कि इनको मुझे जेब से देना पड़ेगा। इस पर मैंने रामहंस मीणा से कहा कि दोनों को दे दो, आप अपने वाले को होल्ड कर लो आपको परसों मिल जाएगा, तो उसने बोला कि ये बात तुम्हारे एवं मेरे बीच में रहनी चाहिये, डायरी पर लिखे 1.50 पर सर्किल कर बोला कि लेकिन अभी इतने कर दो। मैंने, आरोपी से कहा कि ठीक है मैं पैसे होटल से लेकर आता हूँ। इसके बाद मैं नगर निगम कार्यालय के बाहर श्री बृजराज सिंह जी के पास आया तथा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर बन्द कर समस्त बातें श्री बृजराज सिंह को बताई। इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर यहां आये हैं। श्री बृजराज सिंह कानि. ने परिवादी के कथनों की ताईद की। मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर वार्ता के मुख्य अंश को सुना तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। चूंकि आरोपी ने परिवादी को आज ही रिश्वत लेकर अपने कार्यालय नगर निगम कोटा में बुलाया है। अतः समय अभाव के कारण फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जावेगी। कार्यालय में पूर्व से उपस्थित कार्मिक श्री सुलेन्द्र कुमार वन रक्षक एवं श्री कमलचन्द वन रक्षक कार्यालय उप वनसंरक्षक वन्यजीव कोटा का परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह से आपसी परिचय करवाया एवं दोनों कार्मिकों को ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की। परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह द्वारा दिनांक 10.08.2023 को एसीबी कोटा पर दिये गये हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान को पढकर सुनाया गया तथा दोनों गवाहान ने परिवादी के शिकायती प्रार्थना पत्र को पढकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 04.15 पी.एम.पर दोनो स्वतंत्र गवाहान् श्री सुलेन्द्र कुमार वनरक्षक एवं श्री कमलचन्द वन रक्षक के समक्ष परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रुपये के 300 नोट कुल राशि 1,50,000/-रुपये निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर निम्न प्रकार है :-

| क्र०स० | नोटों का प्रकार                          | नोटों के नम्बर |
|--------|--|----------------|
| 1.     | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 1 CV 149667    |
| 2.     | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 1 CV 149668    |
| 3.     | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 1 CV 149669    |
| 4.     | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 1 CV 149670    |
| 5.     | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 1 CV 149671    |
| 6.     | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 1 CV 149672    |
| 7.     | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 1 CV 149673    |







|      |  |             |
|------|--|-------------|
| 106. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 2 GU 860373 |
| 107. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 5 RE 765203 |
| 108. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 3 AM 416817 |
| 109. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 4 SG 514289 |
| 110. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 0 EF 032860 |
| 111. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 8 KF 506363 |
| 112. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 5 HC 312613 |
| 113. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 5 KW 147060 |
| 114. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 6 NN 383566 |
| 115. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 9 FH 219610 |
| 116. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 2 VC 765286 |
| 117. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 9 MW 095166 |
| 118. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 2 PH 251172 |
| 119. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 2 UK 289799 |
| 120. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 6 KF 399615 |
| 121. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 2 NU 119517 |
| 122. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 3 CE 784337 |
| 123. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 7 HS 712335 |
| 124. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 1 WD 360256 |
| 125. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 8 PW 068875 |
| 126. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 5 RE 096829 |
| 127. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 2 NH 153318 |
| 128. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 7 HP 369300 |
| 129. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 0 FU 912261 |
| 130. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 7 BK 594128 |
| 131. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 4GL 444825  |
| 132. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 1 FS 984294 |
| 133. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 4 EN 152518 |
| 134. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 0 TB 706616 |
| 135. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 3 NW 974705 |
| 136. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 1 CU 887433 |
| 137. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 3 ES 731631 |
| 138. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 9 QW 544300 |
| 139. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 1 EF 973525 |
| 140. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 1 FF 533014 |
| 141. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 2 RP 086005 |
| 142. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 1 US 231839 |
| 143. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 7 QW 069729 |
| 144. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 7 FT 614214 |
| 145. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 4 VM 582640 |
| 146. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 7 QP 020637 |
| 147. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 9 MD 510162 |
| 148. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 5 CM 389985 |
| 149. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 5 FM 244085 |
| 150. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 2 GL 115512 |
| 151. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 0 AH 492713 |
| 152. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 8 TT 271187 |
| 153. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 6 KC 492276 |
| 154. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रुपये का | 4 ND 383386 |

*(Signature)*













श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से कार्यालय के मालखाने में रखी फिनोपथलीन पावडर की शीशी को निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया, ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुलेन्द्र कुमार सैनी से लिवाई जाकर, परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 1,50,000/-रूपये श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से सीधे ही परिवादी के पहने हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब में 50,000-50,000/-रूपये की दो गड्डी एक लाख रूपये एवं बांयी जेब में 50,000/-रूपये की एक गड्डी रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें ना ही आरोपी से हाथ मिलावें। आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें तथा रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध में स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद मन् पुलिस निरीक्षक या ट्रेप पार्टी के सदस्यों की तरफ अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर या मन् पुलिस निरीक्षक को मोबाईल पर कॉल करके ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी समझाया गया कि रिश्वत के लेनदेन को यथा संभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह को दिया जाकर चालू व बंद करने की विधि पुनः समझायी जाकर वक्त रिश्वत के लेनदेन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश की गई। इसके बाद एक काँच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 के फिनोल्फथलीन पाउडर लगे हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान एवम् परिवादी को समझाया गया कि यदि आरोपी इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोपथलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोपथलीन पावडर की शीशी को श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से वापस मालखाने में रखवाया गया व दृष्टांत की कार्यवाही में प्रयुक्त किया गया गिलास एवं श्री अब्दुल सत्तार कानि. के हाथ को साबुन पानी से धुलवाया गया। कार्यवाही में प्रयुक्त गिलास को कार्यालय में छोडा गया। परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर मोबाईल एवं आई डी कार्ड कुछ नहीं रहने दिया गया। स्वतंत्र गवाह एवं जाप्ते को हाथ साबुन पानी से धुलवाया गया। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले गिलास एवं शीशीयों को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। श्री अब्दुल सत्तार कानि. को कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत की गई। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् समय 04.45 पी.एम. पर परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह एवं श्री बृजराज सिंह को परिवादी की गाडी से आगे-आगे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुलेन्द्र कुमार सैनी वनरक्षक व श्री कमलचन्द वनरक्षक तथा ब्यूरो स्टाफ श्री बबलेश कुमार कानि. 261, श्री दिलीप सिंह वरिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के प्राईवेट वाहन से एवं दूसरे प्राईवेट वाहन से श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, श्री योगेन्द्र सिंह कानि.282, श्री करण सिंह वरिष्ठ सहायक के ट्रेप कार्यवाही हेतु नगर निगम कोटा के लिये रवाना होकर समय 05.00 पीएम पर नगर निगम कोटा के पास पंहुचे, जहां परिवादी को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालू करवाकर आरोपी के पास नगर निगम कार्यालय कोटा रवाना किया गया। श्री बृजराज सिंह कानि.158 एवं श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 304 को परिवादी की निगरानी हेतु परिवादी के पीछे पैदल-पैदल रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं अन्य जाप्ते के नगर निगम परिसर में आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने के उपरांत परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुआ। समय 05.35 पी.एम.पर परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह नगर निगम की बिल्डिंग के कमरा नम्बर 218 सें दो व्यक्तियों के साथ बाहर निकला तथा बिना इशारा किये उनके साथ पैदल-पैदल चलता हुआ बिल्डिंग सें बाहर आया, परिवादी सें बात करने के बाद एक एक व्यक्ति जिसने सफेद रंग की शर्ट तथा नीले रंग की पेंट पहने हुये थी, गाडी नम्बर आर.जे. 20 टी.ए. 2951 में बैठकर रवाना हुआ तथा एक व्यक्ति वापस चला गया, इसके पश्चात परिवादी ने श्री बृजराज सिंह कानि. को फोन करके बताया कि आरोपी ने मुझसे कहा है कि अपनी गाडी लेकर मेरी गाडी के पीछे-पीछे आ जाओ तथा वो अपनी गाडी में बैठकर आगे चला गया है, इस पर परिवादी को उसके पीछे जाने के लिए बोला तथा मन् पुलिस




निरीक्षक मय जाब्ता प्राइवेट गाडियों में बैठकर परिवारी की गाडी सें थोडी दूरी बनाकर पीछे-पीछे चलते रहे, नगर निगम की बिल्डिंग से मैने रोड पर आने पर भारत विकास परिषद अस्पताल की तरफ जाने वाले रास्ते के सामने मेन रोड पर गाडी नम्बर आर.जे. 20 टी.ए. 2951 रूकी हुई दिखाई दी जिस पर परिवारी ने अपनी गाडी उसके पास रोकी तो वह व्यक्ति गाडी नम्बर आर.जे. 20 टी.ए. 2951 सें उतरकर परिवारी की कार में पीछे की सीट पर परिवारी के साथ बैठ गया तथा फिर परिवारी की गाडी चलने लगी तथा उसके पीछे-पीछे गाडी नम्बर आर.जे. 20 टी.ए. 2951 को भी चालक उसके पीछे-पीछे चलाता रहा कुछ समय में गाडी चम्बल गार्डन की तरफ घूमने वाले रास्ते के तिराहे पर जाकर रूकी तथा परिवारी की गाडी रूकने पर उसके पीछे ही गाडी नम्बर आर.जे. 20 टी.ए. 2951 भी रूक गई। परिवारी की गाडी से वापिस वह व्यक्ति उतरा एवं गाडी नम्बर आर.जे. 20 टी.ए. 2951 में जाकर बैठ गया तथा गाडी को चालक ने इदगाह की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ लिया, इसी समय परिवारी ने बृजराज सिंह कानि. 159 को फोन करके बताया कि रामहंस ने मुझसे गाडी में ही रिश्वत राशि प्राप्त कर ली है तथा अपनी गाडी में बैठकर जा रहा है, इस पर परिवारी के बताये अनुसार मन पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता ने दोनों प्राइवेट गाडियों सें गाडी नम्बर आर.जे. 20 टी.ए. 2951 का पीछाकर शक्ति नगर कोलोनी के अन्दर बंशीधर जी गुप्ता के मकान नम्बर 45 के सामने जाकर रोका तथा गाडी में पीछे बैठे हुये व्यक्ति सें गाडी का गेट खोलने का ईशारा किया जिस पर उसने गाडी का गेट खोला तथा गाडी सें उतरकर बाहर आया, मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना, स्वतंत्र गवाहान एवं जाब्ते का परिचय देकर अपने आने के मंतव्य सें अवगत कराते हुये उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामहंस पुत्र बृजमोहन जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी- ग्राम पहाडी थाना बालघाट तहसील- टोडाभीम जिला करौली हाल सहायक अभियंता (निर्माण), कार्यालय, आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर बताया। मन पुलिस निरीक्षक ने श्री रामहंस से परिवारी श्री कृष्णपाल सिंह से ली गई रिश्वती राशि के संबंध में पूछा तो अपने पेंट की दोनों जेब की तरफ हाथ लगाकर बताया कि मेरी पेंट की जेब में रखे है। गाडी रूकवाने व पूछताछ करने के दौरान घटनास्थल पर काफी भीड हो गई थी, अतः अग्रिम कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न न हो इसलिए श्री रामहंस के दोनों हाथों को स्वतंत्र गवाहान से पकडवाकर श्री रामहंस मीणा एवं स्वतंत्र गवाहान के मय श्री दिलीप सिंह, वरिष्ठ सहायक के मन पुलिस निरीक्षक की गाडी में बैठाया तथा अन्य प्राइवेट गाडी सें जाब्ता श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, श्री बृजराज सिंह कानि. 159, श्री बबलेश कानि. 261 एवं श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 तथा आरोपी रामहंस की गाडी के चालक के साथ के साथ श्री करण सिंह, वरिष्ठ सहायक के एसीबी चौकी कोटा देहात के लिए रवाना हुआ तथा परिवारी को भी एसीबी चौकी कोटा देहात आने के लिए जरिये मोबाईल सूचित किया। समय 6.00 पी.एम. पर सभी एसीबी चौकी कोटा देहात पहुंचे, जहां पर परिवारी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर उसको बन्द किया तथा एसीबी चौकी कोटा देहात में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी रामहंस से परिवारी श्री कृष्णपाल सिंह से रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो रामहंस ने बताया कि के.पी. सिंह ने 3-4 साल पहले खेडली फाटक स्टेशन एरिया में सीवर लाईन की मेन हॉल की सर्चिंग का काम किया था, इनके नहीं आने सें बिल पास नहीं हुये। इसका 12-13 लाख रू. का बिल था। इनकी फर्म इन्टेली टैक्सट से कोई आया नहीं था इसलिए बिल पास नहीं हुये। ये दो तीन दिन पहले मेरे पास आया था इसने कहा कि बिल पास करवा दो, मैने पैसे की कोई बात नहीं की इसने पैसे मेरी गाडी के अन्दर जबरदस्ती डाल दिये थे, जेब में भी इसने जबरदस्ती डाल दिये थे ये पैसे मैने कनिष्ठ अभियंता राकेश व अधिशाषी अभियंता डी.पी. गर्ग के लिए लिये थे, के.पी. सिंह ने बोला था कि आप ही बात कर लेना कनिष्ठ अभियंता व अधिशाषी अभियंता सें, मै उनको जानता नहीं हूं। इन दोनों से मेरी बिल के संबंध में बात हुई थी पैसों के संबंध में कोई बात नहीं हुई थी, इस पर परिवारी कृष्णपाल सिंह ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये कहा कि ये पूरी बात नहीं बता रहे हैं मै हमारी फर्म द्वारा किये गये कार्य के बिलों के संबंध में इनसे पहले कई बार मिला हूं, इन्होंने हर बार समय नहीं होने तथा अन्य कार्य में व्यस्तता का बहाना बनाकर मुझे बाद में आने के लिए कहा मै अभी कुछ दिन पहले कोटा आया था तथा नगर निगम में इनसे मिला तो इन्होंने मुझसे मेरे बिलो को पास करवाने के लिए 4 लाख रू. की मांग की तथा जल्दी बिल पास करने के लिए कहा तथा रूपये नहीं देने पर बिल की राशि कम करके बिल बनाने की धमकी दी। इसके बाद मै दिनांक 10.08.2023 को एसीबी कार्यालय में गया तथा इनकी शिकायत की। एसीबी कार्यालय सें मै मय रिकॉर्डर व एसीबी के श्री बृजराज सिंह जी के साथ नगर निगम कार्यालय गया था जहां पर बृजराज जी तो बाहर ही रूक गये थे तथा मै रिकॉर्डर चालु करके वहां पहले सें मौजूद मेरी कम्पनी के इंजिनियर चन्दर को लेकर इनसे बात करने के लिए गया तो उस दिन भी मैने मेरे कार्य सें संबंधित बात की तथा इनको जल्दी बिल



बनाने के लिए कहा तो इन्होंने इनकी टेबल पर रखे हुये कागज पर लिखकर 2,50,000 रु. मांगे तथा जल्दी काम करने के लिए कहा, इसके बाद मैंने चन्दर को वहीं छोडा तथा बृजराज जी के साथ वापिस एसीबी कार्यालय आ गया। एसीबी कार्यालय में हमारे मध्य हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुनकर कहा कि रिकॉर्ड वार्ता में कार्य के संबंध में बात हुई है तथा आंशिक रिश्वत मांग हुई है, इस पर मैंने कहा कि मैं उनसे फिर से रिश्वत मांग के संबंध में स्पष्ट बात करूंगा। इसके बाद मैं दिनांक 11.08.2023 को पुनः इनसे मिला तो इन्होंने मेरे कार्य से संबंधित बात की तथा जब मैंने रिश्वत की राशि के संबंध में बात की तो इन्होंने इशारे से मुझे बोलने के लिए मना किया तथा मुझे बुधवार के बाद आने के लिए कहा, जिस पर मैं आज इनसे दिन में मिला तो इन्होंने मुझसे कनिष्ठ अभियंता, अधिशाषी अभियंता एवं स्वयं के लिए लिये जाने वाली रकम जोडकर टेबल पर रखी हुई नगर निगम कोटा की नोट पेड डायरी में अंग्रेजी में Jen, Aen लिखकर उनके आगे 0.50-0.50 तथा फिर 2.00 डायरी में लिखकर बताया तथा इसी डायरी में फिर से 0.50 लिखकर कहा कि ये बाद में, जब मैंने अपनी मजबूरी बताते हुये एक लाख रु. के लिए इनसे कहा कि एक अभी कर देता हूं मैं, तो इन्होंने अपनी डायरी में तीन लोगों के लिए 1.50 लिखकर बताया तथा अभी देने के लिये कहा तथा इस पर मैंने पूछा कि 50 हजार जेईएन तो इन्होंने कहा हां 50 हजार एक्सईएन तो इन्होंने कहा हां तथा 0.50 बाद में देने के लिए कहा, जिस पर मैंने इनको कहा कि ठीक हैं में 1.50.000 रु. तो अभी होटल से लेकर आता हूं, इस पर ये सहमत हो गये, इसके बाद मैं वापिस आपके एसीबी कार्यालय गया तथा इनको रिश्वत में दी जाने वाली राशि आपको सुपुर्द की थी जिस पर आपने फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया तथा उन नोटों को लेकर मैं इनके कार्यालय में गया तथा इनसे मेरे कार्य के संबंध में बात की तथा फिर इन्होंने पैसों के संबंध में इशारे से पूछा तो मैंने कहा कि कहा की यंही करूं कहीं चलना कुछ कर दें यंही कर दें तो इन्होंने कहा कि तो चले कहीं तथा फिर ये मुझे साथ में लेकर इनके ऑफिस से नीचे आ गये तथा इन्होंने मुझसे पूछा कि कहां है आपकी तो मैंने कहा कि ये रही पोकट में तो इन्होंने कहा कि टैक्सी-टैक्सी तो मैंने कहा कि यंही बाहर ही खडी होगी तो इन्होंने कहा कि चलो आप तो मैं आ रहा हूं इसके बाद ये अपनी गाडी से रवाना हुये तथा मैं भी अपनी गाडी से रवाना हुआ तो ये मुझे मेन रोड पर मिले जिस पर मैंने इनकी गाडी के पास अपनी गाडी रूकवाई तो ये इनकी गाडी में से उतरकर मेरी गाडी में आकर बैठ गये तथा फिर मेरे ड्राइवर को कहा कि चम्बल गार्डन के वंहा ले इसके बाद मैंने इनको कहा कि मेरी ट्रेन हैं अभी 5.55 पर इस पर इन्होंने कहा अभी तो 5.40 हो गये फिर इन्होंने मेरे ड्राइवर को गाडी रोकने के लिए कहा तथा मुझसे रिश्वत राशि 1,50,000 रु. अपने हाथों से लेकर अपनी दोनों जेब में रखकर मेरी गाडी से उतर गये तथा इनकी गाडी में बैठकर रवाना हो गये। इस पर मैंने बृजराज जी को फोन पर बताया था कि वो पैसे लेकर उनकी गाडी से रवाना हो गये है। ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने जबरदस्ती इनकी गाडी में रूपये डाले या जबरदस्ती इनकी जेब में रूपये रखे।

परिवादी ने अपने कथनों में एक डायरी का कथन किया हैं जिस पर आरोपी ने अपने हाथ से लिखकर रिश्वत राशि बताई है, अतः उक्त डायरी को परिवादी की निशांदाही पर प्राप्त करने हेतु श्री दिलीप सिंह वरिष्ठ सहायक व श्री बृजराज सिंह को परिवादी के हमराह आरोपी के कार्यालय के लिए रवाना किया, जो कुछ समय में मय डायरी के वापिस आये तथा परिवादी ने डायरी को खोलकर एक कागज पर आरोपी द्वारा लिखी हुई रिश्वती राशि बताई, जिससे परिवादी के कथन आरोपी द्वारा डायरी में लिखने की बात की पुष्टि हुई, डायरी का अवलोकन किया तो डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर नगर निगम कोटा (राज.) प्रिन्ट हो रखा हैं उक्त डायरी एक सफेद रंग के कागजों की हैं, जिसके आगे के कृछ पृष्ठ नहीं हैं, उक्त डायरी में भरे हुये पेजों की नम्बरिंग की गई जो 1 से 22 तक हैं तथा अन्य खाली हैं, उक्त 1 से 22 नम्बर तक के पेज में 18 नम्बर के पेज पर आरोपी द्वारा लिखी गई रिश्वती राशि हैं। अतः उक्त पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कर डायरी को वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की पुष्टि हुई। तत्पश्चात श्री रामहंस के पहने हुये कपडों की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुलेन्द्र सें लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई पैंट की सामने की बायीं जेब में पांच-पांच सौ रूपये के दो बण्डल रखे हुये मिले, उक्त नोटों को स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के दौ सौ नोट कुल 1,00,000 रूपये है तथा पैंट की सामने की दायीं जेब में पांच-पांच सौ रूपये का एक बण्डल रखा हुआ मिला, उक्त नोटों को स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के सौ नोट कुल



50,000 रुपये है, उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतंत्र गवाहान द्वारा फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों से करवाया गया, तो हूबहू मिलान हुआ।

उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए। आरोपी के पहने हुये कपड़ों की अन्य जेबों की तलाशी में पेन्ट की पीछे की जेब से 2300 रु., एक मोबाईल आई.फोन.13, एक चश्मा इत्यादि मिले जिनको स्वतंत्र गवाह सुलेन्द्र के पास सुरक्षित रखवाया गया।

आरोपी श्री रामहंस ने परिवादी से रिश्वती राशि 1,50,000 रुपये अपने हाथों से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की जेबों में रखे हैं, अतः आरोपी श्री रामहंस की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की। कार्यालय में रखे पानी की बोतल से पानी मंगवाया जाकर दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी रामहंस के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात आरोपी के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित किया।

आरोपी श्री रामहंस ने परिवादी से रिश्वती राशि 1,50,000 रुपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की जेबों में रखे हैं, अतः पेंट की जेबों का धोवन लेने के लिए दो कांच के साफ गिलास में पानी डालकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। श्री रामहंस से उसकी पहनी हुई पेंट उतरवाकर दूसरा पेंट पहनने को दिया गया तथा पेंट के रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेंट की बांयी जेब को उलटवाकर कांच के गिलास में बने घोल में धोया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क PL-1 व PL-2 तथा दांयी जेब को उलटवाकर कांच के गिलास में बने घोल में धोया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क PR-1 व PR-2 अंकित किया। पेंट की जेबों को सुखाकर एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर थैली पर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया, तत्पश्चात आरोपी से परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली के संबंध में पूछा तो बताया कि इनके कार्य की पत्रावली व दस्तावेज मेरे कार्यालय में ही है। इस पर परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली व दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भिजवाने हेतु पृथक से आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर कोटा को पत्र प्रेषित किया जावेगा।

तत्पश्चात आरोपी रामहंस की गाडी के चालक को बुलाकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दीपक शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप जी शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 40 साल निवासी मकान. नं. 1478 सुभाष कोलोनी, किशोरपुरा, कोटा मोबाईल नम्बर- 6350088566 हाल कार चालक आर.जे. 20 टीए 2951 स्विफ्ट डिजायर बताया तथा गाडी निगम में किराये से लगना बताया। चालक से आरोपी व परिवादी के संबंध में पूछा तो बताया कि रामहंस जी अपने ऑफिस से निकलकर मेरी गाडी में आकर बैठ गये थे तथा गाडी लेकर चलने के लिए कहा जिस पर मैंने गाडी स्टार्ट की तथा चलने लगा तो सीएडी से चम्बल गार्डन वाले मेन रोड पर इन्होंने गाडी को रोकने के लिए कहा जिस पर मैंने गाडी को रोक दी, कुछ समय में हमारी गाडी के पास एक टैक्सी नम्बर की वैगन आर, कार आकर रूकी जिस पर रामहंस जी मेरी गाडी से उतरकर उसमें जाकर बैठ गये तथा मुझे पीछे आने के लिए बोला मैं भी उस गाडी के पीछे-पीछे चलता रहा वो गाडी कुछ समय बाद सीएडी रोड से चम्बल गार्डन की तरफ जाने वाले रास्ते के तिराहे पर जाकर रूकी तो मैंने भी गाडी वंहा रोक दी, गाडी रोकने के कुछ समय में ही रामहंस जी उस गाडी में से उतरकर आये तथा मेरी गाडी में बैठ गये, इस पर मैं गाडी को लेकर रामहंस जी के बताये अनुसार शक्ति नगर कोलोनी में लेकर गया तथा वंहा पर आपने गाडी को रोककर इनको आपके साथ बैठा लिया तथा मुझे गाडी लेकर यंहा पर आने के लिए बोला, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं है।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह की फर्म इन्टेलीटेक्सट सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा नगर निगम कोटा के स्टेशन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सीवरेज मैन हाल को जीपीआर मैथड से सर्व करने का काम करके बिल आरोपी रामहंस, सहायक अभियंता के पास पेश किये तो काम में कमियां बताकर रिश्वत लेने की मंशा से तीन वर्ष तक बिल पास नहीं किये तथा परिवादी द्वारा कुछ समय पहले रामहंस के कार्यालय में

①



जाकर मिलने पर बिल पास करने की एवज में 4 लाख रू. की मांग करने तथा दौराने मांग सत्यापन में रिश्वत राशि लिखकर बताने तथा 1,50,000 रू. अभी देने तथा 50,000/-रूपये काम होने तथा 50,000/-रूपये बिल पास होने पर देने पर सहमत होने तथा 50-50 हजार रू. जेईएन. एवं एक्सईएन में वितरण के लिए हां करने तथा दौराने वक्त रिश्वत लेनदेन 1,50,000 रू. परिवादी से प्राप्त कर अपनी पेंट की जेबों में रखने तथा रिश्वती राशि आरोपी की पेंट की दोनों जेबों से बरामद होने तथा आरोपी के दोनों हाथों का धोवन हल्का गुलाबी आने, पेंट के अन्दर की जेबों का धोवन का रंग गुलाबी आने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति करने इत्यादी से आरोपी श्री रामहंस पुत्र बृजमोहन जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी- ग्राम पहाडी थाना बालघाट तहसील- टोडाभीम जिला करौली हाल सहायक अभियंता, निर्माण, कार्यालय, आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर का उक्त कृत्य धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुलेन्द्र कुमार सैनी वनरक्षक व श्री कमलचन्द वनरक्षक तथा ब्यूरो स्टाफ मय आरोपी श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता मय परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह मय जप्तशुदा आर्टिकल्स शील्डशुदा 8 धोवन की शीशीयों, एक पेन्ट का पैकिट, एक नगर निगम कोटा की डायरी, मय बरामद शुदा रिश्वत राशि मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के दोनों प्राईवेट वाहन से भ्रनिब्यूरो कार्यालय कोटा के लिये रवाना होकर समय 08.15 पी.एम. भ्रनिब्यूरो कार्यालय कोटा उपस्थित आया। समय 08:20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुलेन्द्र कुमार व श्री कमलचन्द की मौजूदगी में दिनांक 10.08.2023 को वक्त रिश्वत रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की थी को श्री बृजराज सिंह कानि. 159 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड से उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटोप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह को लेपटोप का स्पीकर ऑन कर सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री कृष्णपाल ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता की तथा अन्य आवाज अपने इंजीनियर श्री चन्द्र प्रकाश की होना पहचान कर बताया। वार्ता को सुनकर हूबहू लेपटोप पर श्री बृजराज सिंह कानि. 159 से द्वारा नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 19.08.2023 को समय 12:30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुलेन्द्र सिंह व श्री कमलचन्द की मौजूदगी में दिनांक 11.08.2023 को वक्त रिश्वत रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गयी थी को श्री बृजराज सिंह कानि. 159 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड से उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटोप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह को लेपटोप के स्पीकर ऑन कर सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री कृष्णपाल ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता की तथा अन्य आवाज अपने इंजीनियर श्री चन्द्र प्रकाश की होना पहचान कर बताया। वार्ता को सुन-सुन कर हूबहू लेपटोप पर श्री बृजराज सिंह कानि. 159 से नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02:15 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष, परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह एवं आरोपी श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता के मध्य दिनांक 10.08.2023, 11.08.2023 एवं दिनांक 18.08.2023 को हुई रिश्वत की मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 18.08.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता, को परिवादी द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था का विधि विज्ञान राजस्थान जयपुर में आवाज मिलान करने हेतु आरोपी श्री रामहंस मीणा को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने अपने हस्तलेख में लिखकर दिया कि "मैं मेरी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता।" नोटिस नमूना आवाज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 02:30 ए.एम. पर आरोपी श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता (निर्माण) नगर निगम कोटा (उत्तर) को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी रामहंस मीणा सहायक अभियंता को रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना नयापुरा की हवालात में दाखिल कराया गया। समय 04.20 ए.एम. मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुलेन्द्र व श्री कमलचन्द की मौजूदगी में दिनांक 18.08.2023 को वक्त रिश्वत रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गयी थी को श्री बृजराज सिंह कानि. 159 से उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटोप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह को लेपटोप का

*Handwritten signature/initials*




स्पीकर ऑन कर सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता की तथा अन्य आवाज अपने इंजीनियर श्री चन्द्र प्रकाश की होना पहचान कर बताया। वार्ता को सुनकर हूबहू लेपटोप पर टाईप कर श्री बृजराज सिंह कानि. 159 से नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09:00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुलेन्द्र सिंह व श्री कमलचन्द की मौजूदगी में दिनांक 18.08.2023 को वक्त रिश्वत रिश्वत लेन देन हुई वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गयी थी को श्री बृजराज सिंह कानि. 159 से उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटोप में लिवाकर लेपटोप का स्पीकर ऑन कर सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह ने एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज आरोपी श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता की तथा अन्य आवाज अपने इंजीनियर श्री चन्द्र प्रकाश की होना पहचान कर बताया। वार्ता को सुन कर हूबहू लेपटोप पर श्री बृजराज सिंह कानि. 159 से टाईप करवा कर नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11:00 ए.एम.पर परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह एवं आरोपी श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता के मध्य दिनांक 10.08.2023, 11.08.2023 एवं दिनांक 18.08.2023 को हुई रिश्वत की मांग संबंधित वार्ताओं तथा दिनांक 18.08.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड से लेपटॉप में सेव करवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बृजराज सिंह कानि0 159 से जरिये लेपटॉप चार पेनड्राईव PENDANT 16GB USB 2.0 Flash Drive मे पेस्ट कर डब करवाये गये, जिसमें एक पेनड्राईव आरोपी श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज/निरंतरता की जांच हेतु एफएसएल के लिये तथा एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थैली में अलग-अलग रखकर एवं डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड Sandisk Ultra-32 GB को कवर सहित कपड़े की थैली में रखकर शील्डचीट कर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द डबिंग एवं जप्ती पेनड्राईव नियमानुसार तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 11.45 ए.एम सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के बाद, जप्तशुदा आर्टीकल्स रिश्वत राशि 1,50,000/-रूपये मय लिफाफे, सील्डशुदा 08 धोवन की शीशीयां, सील्डशुदा पेन्ट का पेकिट, सील्डशुदा डब तीन पेनड्राईव, सील्डशुदा मूल मैमोरी कार्ड एवं नगर निगम कोटा की पेड डायरी मालखाना प्रभारी श्री बृजराज सिंह कानि 159 को सुपूर्द कर जम्मा मालखाना करवाया गया। समय 03.55 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह मय स्वतंत्र गवाह श्री सुलेन्द्र कुमार वन रक्षक एवं श्री कमलचन्द वन रक्षक के घटनास्थल का नजरी नक्शा मौका तैयार करने हेतु रवाना होकर घटना स्थल शक्ति नगर कोटा पहुंचा, जहां परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका नियमानुसार तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बाद नक्शा मौका कशीद कर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह मय स्वतंत्र गवाह श्री सुलेन्द्र वन रक्षक एवं श्री कमलचन्द वन रक्षक के तैयार कर समय 05.20 पी.एम. पर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के बाद परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 10.08.2023 को परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह ने ब्यूरो कार्यालय कोटा पर स्वयं उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि नगर निगम कोटा राजस्थान द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति एवं जारी कार्यदेश की प्रक्रिया अनुसार कोटा शहर के स्टेशन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सीवरेज मैन हाल को जीपीआर मैथड से काम करने का ठेका हमारी फर्म इन्टेलीटेस्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड को मिला था। उक्त कार्य हमारी फर्म द्वारा माह अक्टूबर वर्ष 2020 में ही पूरा कर दिया गया था। उक्त कार्य के बिल का भुगतान करने के लिये नगर निगम कोटा का अधिकारी श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता मुझसे चार लाख रूपये की रिश्वत मांग रहा है। मेरे जायज काम काम के बदले में रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि श्री रामहंस मीणा सहायक अभियंता को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। परिवादी श्री कृष्णपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने एवं रिश्वत मांग का सत्यापन

(11)

करवाया जाना आवश्यक होने से दिनांक 10.08.2023, दिनांक 11.08.2023 एवं दिनांक 18.08.2023 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी ने परिवादी के काम के संबंध में वार्ता कर पेडिंग बिल पास करने संबंधी समस्त कार्य करवाने की एवज में कनिष्ठ अभियंता, अधीशाषी अभियंता एवं अपने लिये 2,00,000/-रूपये एवं एकाउण्ट एवं आयुक्त के लिये 50,000/-रूपये की मांग की गई। दिनांक 18.08.2023 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी रामहंस मीणा सहायक अभियंता द्वारा 1,50,000/-रूपये आज देने तथा 1,00,000/-रूपये बाद देने पर सहमत हुआ। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी रामहंस मीणा द्वारा दिनांक 18.08.2023 को मांगी गई रिश्वत राशि 1,50,000/-रूपये के अनुसरण में परिवादी की गाडी में बैठ कर परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करना, रिश्वत राशि 1,50,000/-रूपये आरोपी रामहंस मीणा सहायक अभियंता नगर निगम कोटा की पहनी हुई पेन्ट की जेबों से बरामद होना, आरोपी के हाथों एवं पेन्ट की जेबों का रंग हल्का गुलाबी/गुलाबी आना, आरोपी द्वारा अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार करना, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताएं एवं रिश्वत लेन देन वार्ता से आरोपी रामहंस मीणा सहायक अभियंता का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री रामहंस मीणा पुत्र श्री बृजमोहन जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी-ग्राम पहाडी, थाना बालघाट, तहसील- टोडाभीम, जिला करौली, हाल सहायक अभियंता (निर्माण), कार्यालय, आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर के विरुद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 अनिब्यूरो जयपुर को सादर प्रेषित है।

  
(ताराचन्द)  
पुलिस निरीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ताराचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामहंस मीणा पुत्र श्री बृजमोहन हाल सहायक अंभियता(निर्माण), कार्यालय आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 224/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

4/20/8/23  
(कालूराम रावत)

उप महानिरीक्षक पुलिस,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2603-06 दिनांक 20.08.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. निदेशक, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

4/20/8/23  
उप महानिरीक्षक पुलिस,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।